भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 902
गुरुवार, 23 जुलाई, 2026/1 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू हवाई किरायों में वृद्धि

902. श्री सुखदेव भगतः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2022 से प्रमुख मार्गों पर घरेलू हवाई किरायों में हुई वृद्धि के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने जेट एयरवेज और गो फर्स्ट जैसी विमानन कंपनियों के बंद होने के बाद विमानन बाजार के सुदृढ़ीकरण से यात्रियों के किराए और प्रतिस्पर्धा पर पड़े प्रभाव की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को त्योहारों के मौसम और आपातकालीन स्थितियों के दौरान अत्यधिक हवाई किराए वसूलने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का अत्यधिक मांग वाले मार्गों के लिए एक पारदर्शी हवाई किराया निगरानी प्रणाली स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) विमानन क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए किफायती हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क(से (ङ(: मार्च, 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन को पूर्णत् नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिदेशों (आरडीजी) के अनुपालन, हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीसीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, यह एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वे अपनी परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाईअड्डे से/हवाईअड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें।
सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति

के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

हवाई किराया सरकार के विनियमन के अध्यधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए।

सरकार सामान्यत् बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि, यह सतर्क निगरानी की भूमिका बनाए रखती है, विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता का पुनर्वितरण करके और अस्थायी किराया सीमा लगाकर असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कि कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसे अन्य असाधारण परिस्थितियों के दौरान।

नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) ने घरेलू एयरलाइनों द्वारा वसूले जाने वाले अत्याधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयरसेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित "एयर फेयर" शिकायत मॉड्यूल विकसित किया है।

हवाई किराए में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है, जो एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके मासिक आधार पर यादृच्छिक आधार पर चयनित 78 मार्गों पर हवाई किराए की निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें उनके द्वारा घोषित सीमा से बाहर हवाई किराया न वसूलें।
